मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3– 5–2015–3–एक **भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– **व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना।**

राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से सम्बन्धित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के अधीन भर्ती के लिए मानदण्ड नियत किये गये हैं।

2– शासन के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त वांछनीय योग्यता जैसे 02 वर्ष का अनुभव व स्नातक/स्नातकोत्तर आदि को प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख व्यापम से किये गये मांग–पत्र में की जाती है। चूंकि व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाती है तथा मण्डल की परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता वही होती है, जो विभाग द्वारा भर्ती नियमों में निर्धारित की गयी है। उक्त स्थिति में न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को तुलनात्मक वरीयता का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

3– मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम–4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान हैं, जिसके अनुसार वे समस्त उपबंध जो, इन नियमों में जोडे गये हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किये जाऐंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाऐंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते, इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाऐंगे।

4– अतएव व्यापम के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

कृ.प.उ.

5– कृपया कण्डिका 4 में वर्णित निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 3–5–2015–3–एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षणं/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग